संख्या-263/2022/744 /001-41-2022-03-JIYO-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 22 अप्रैल, 2022**

विषयः-जिला योजना वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत जनपद हापुड़, बागपत, शामली, अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, सुल्तानुपर, अमेठी, अयोध्या, ललितपुर,कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर के कतिपय स्थलों के पर्यटन विकास कार्य की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8307/7-1-1/(जि0यो0)/द्वितीय किश्त यू0सी0/2021-22, दिनांक 24 मार्च, 2022, शासनादेश संख्या-**228/2022/744/41-2022-03(**जि**0**यो**0)/2021,** दिनांक 31.03.2022 के क्रम में आहरण वितरण अधिकारी/ उप निदेशक, पर्यटन मुख्यालय के पत्र संख्या-**144/3-**8-**0(**आ**0**वि**0**अनु**0)/2022** दिनांक 08.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वर्ष 2021-22 के जिला योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, सुल्तानुपर, अमेठी, अयोध्या, ललितपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर के कतिपय स्थलों के पर्यटन विकास कार्यों हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के पक्ष में कुल रू0 74.99 लाख (जी0एस0टी0 रहित,वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य) की अवशेष वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-**228/2022/744/41-2022-03(**जि**0**यो**0)/2021,** दिनांक31.03.2022 द्वारा प्रदान की गई । तदक्रम में आहरण वितरण अधिकारी/ उप निदेशक, पर्यटन मुख्यालय के पत्र संख्या-**144/3-**8-**0(**आ**0**वि**0**अनु**0)/2022** दिनांक 08.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृति आदेश के सापेक्ष कोषागार से वित्तीय वर्ष 2021-22 में आहरण नहीं हो सका है ।

3- वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत जनपद हापुड़, बागपत, शामली, अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, सुल्तानुपर, अमेठी, अयोध्या, ललितपुर,कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर के कतिपय स्थलों के पर्यटन विकास कार्यों हेतु गठित आगणन की धनराशि के सापेक्ष मूल्यांकित लागत के अनुसार भिन्न भिन्न शासनादेशें ा द्वारा निम्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रशासकीय स्वीकृति धनराशि	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त की अवमुक्त धनराशि
1	जनपद हापुड में स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर एवं गंगा मंदिर का पर्यटन विकास।	सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम। यूनिट-31 गाजियाबाद।	19.62	5.00	14.62
2	जनपद बागपत के ग्राम रमाला में तालाब किनारे स्थित प्रचीन शिव मंदिर का पर्यटन विकास।	सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम। यूनिट-31, गाजियाबाद।	17.05	5.00	12.05
3	जनपद शामली के कांधला में नहर के किनारे पुल के पास स्थित श्री मनमेश्वर शिव मंदिर का पर्यटन विकास।	सी0एण्ड0डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम। यूनिट-31 गाजियाबाद।	18.25	5.00	13.25
4	जनपद अलीगढ में स्थित ग्राम शिवाला में स्थित प्राचीन राधाकृष्ण मंदिर का पर्यटन विकास।	यू0पी0पी0सी0एल0 यूनिट-32, अलीगढ	9.98	5.00	--
5	जनपद अलीगढ में स्थित ग्राम	यू0पी0पी0सी0एल0	9.24	5.00	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	मुकुटगढी में स्थित प्राचीन गंगामंदिर का पर्यटन विकास।	यूनिट-32, अलीगढ			
6	जनपद चित्रकुट स्थित बन्धुइन माता मन्दिर तहसील कर्वी का पर्यटन विकास	यू0पी0पी0सी0एल0 यूनिट-13, बांदा	19.56	5.00	--
7	जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में स्थित अगसौली मंदिर का पर्यटन विकास।	यू0पी0पी0सी0एल0 यूनिट-4, आगरा	9.54	5.00	--
8	जनपद सुल्तानपुर स्थित मोलेश्वर नाथ मंदिर एवं तालाब का पर्यटन विकास।	यू0पी0सी0एल0डी0ए फ0	7.61	3.00	--
9	जनपद अमेठी स्थित सिद्धधाम हनुमान गढी वि0ख0 मुसाफिर खाना का पर्यटन विकास।	यू0पी0सी0एल0डी0ए फ0	9.41	4.00	--
10	जनपद अयोध्या स्थित होटल साकेत में क्रियान्वित पर्यटन केन्द्र का सौन्दर्यीकरण।	यू0पी0सी0एल0डी0ए फ0	4.74	2.00	--
11	जनपद अयोध्या के अमौनी मठ आश्रम का पर्यटन विकास	यू0पी0सी0एल0डी0ए फ0	5.00	2.00	--
12	जनपद अयोध्या के ग्राम सभा तिहुरा में स्थित त्रिपुरारी कुण्ड का पर्यटन विकास।	यू0पी0सी0एल0डी0ए फ0	4.67	2.30	--
13	जनपद ललितपुर स्थित राजकीय संग्रहालय का पर्यटन विकास।	पैक्सफेड	9.19	5.00	--
14	जनपद कुशीनगर के वि0ख0 कसया में स्थित मैनपुर कोट दुर्गा मंदिर स्थल का पर्यटन विकास।	यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट-29, गोरखपुर	4.62	2.00	--
15	जनपद देवरिया के ग्राम देवगांव स्थित हनुमान स्थल का पर्यटन विकास	यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट-29, गोरखपुर	4.73	2.00	--
16	जनपद देवरिया में ग्राम बढया पोस्ट बैतालपुर में स्थित शिव मंदिर का पर्यटन विकास।	यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट-29, गोरखपुर	9.84	4.00	--
17	जनपद गोरखपुर के वि0ख0 सहजनवां में स्थित मदुई शिव मंदिर का पर्यटन विकास।	यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट-29, गोरखपुर	9.82	4.00	--
18	जनपद महराजगंज के वि0ख0 घुघली में स्थित बैकुण्ड घाट मंदिर का सौन्दर्यीकरण।	यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट-29, गोरखपुर	6.93	2.00	--
19	जनपद गोरखपुर के वि0ख0 सरदारनगर में स्थित बुद्ध विहार सम्बद्ध डा0 भीमराव अम्बेडकर स्थल का पर्यटन विकास।	यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट-29, गोरखपुर	6.41	3.00	--
			186.21	70.30	39.92

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्द्वारा शासनादेश सं0-**228/2022/744/41-2022-03(**जि**0**यो**0)/2021,** दिनांक31.03.2022 को निरस्त करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिलायोजनान्तर्गत कतिपय विकास स्थलों के विकास के लिये अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति को निम्नांकित तालिकानुसार श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं कि निदेशालय स्तर पर भुगतान से पूर्व निविदा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

लागत/जी0एस0टी0 से संबंधित प्रपत्र/लेबर सेस से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर यह संनिश्चित कर लिया जायगा कि किसी भी दशा में परियोजना में स्वीकृत/वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो ।

क्र0 सं0	योजना का नाम	द्वितीय किश्त की अवमुक्त धनराशि
1	जनपद अलीगढ में स्थित ग्राम शिवाला में स्थित प्राचीन राधाकृष्ण मंदिर का पर्यटन विकास।	4.98
2	जनपद अलीगढ में स्थित ग्राम मुकुटगढी में स्थित प्राचीन गंगामंदिर का पर्यटन विकास।	4.24
3	जनपद चित्रकुट स्थित बन्धुइन माता मन्दिर तहसील कर्वी का पर्यटन विकास	14.56
4	जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में स्थित अगसौली मंदिर का पर्यटन विकास।	4.54
5	जनपद सुल्तानपुर स्थित मोलेश्वर नाथ मंदिर एवं तालाब का पर्यटन विकास।	4.61
6	जनपद अमेठी स्थित सिद्धधाम हनुमान गढी वि0ख0 मुसाफिर खाना का पर्यटन विकास।	5.41
7	जनपद अयोध्या स्थित होटल साकेत में क्रियान्वित पर्यटन केन्द्र का सौन्दर्यीकरण।	2.74
8	जनपद अयोध्या के अमौनी मठ आश्रम का पर्यटन विकास	3.00
9	जनपद अयोध्या के ग्राम सभा तिहुरा में स्थित त्रिपुरारी कुण्ड का पर्यटन विकास।	2.37
10	जनपद ललितपुर स्थित राजकीय संग्रहालय का पर्यटन विकास।	4.19
11	जनपद कुशीनगर के वि0ख0 कसया में स्थित मैनपुर कोट दुर्गा मंदिर स्थल का पर्यटन विकास।	2.62
12	जनपद देवरिया के ग्राम देवगांव स्थित हनुमान स्थल का पर्यटन विकास	2.73
13	जनपद देवरिया में ग्राम बढया पोस्ट बैतालपुर में स्थित शिव मंदिर का पर्यटन विकास।	5.84
14	जनपद गोरखपुर के वि0ख0 सहजनवां में स्थित मदुई शिव मंदिर का पर्यटन विकास।	4.82
15	जनपद महराजगंज के वि0ख0 घुघली में स्थित बैकुण्ड घाट मंदिर का सौन्दर्यीकरण।	4.93
16	जनपद गोरखपुर के वि0ख0 सरदारनगर में स्थित बुद्ध विहार सम्बद्ध डा0 भीमराव अम्बेडकर स्थल का पर्यटन विकास।	3.41
कुल		**74.99**

5- उपरोक्त प्रस्तर-4 में अवमुक्त की जा रही धनराशि को आहरित/अवमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबंधो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के भिन्न-भिन्न शासनादेशों में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 तथा शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 एवं 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30.12.2021 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक**,** पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 74,99,000 (रुपये चौहत्तर लाख निन्यानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 5452801040900 पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-263 /2022/744 /001-41-2022-03-JIYO-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, सुल्तानुपर, अमेठी, अयोध्या, ललितपुर,कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, सुल्तानुपर, अमेठी, अयोध्या, ललितपुर,कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के परियोना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता एवं सहा0 परियोजना प्रबन्धक द्वारा महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- सम्बन्धित जिलों के क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।